07/3/2024	अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की ग्राम मेड़ी का अमरपुरा का स्थायी निवासी होकर ग्राम ठीकरिया प॰ह॰ अरनियापंथ स्थित आराजी नम्बर 478, 479, 480 कीता 3 कुल रकबा 1.0400 हे॰ कृषि भूमि वादी के मिल्कियत एवं खातेदारी की है। प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि आराजीयात के कुछ हिस्से पर जबरन ताकत के बल पर दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने की नियत से निर्माण कार्य कर वादी को बेदखल करने पर उतारू है। वाद कारण दिनांक 20/6/2020 को कब्जा कर वादी को बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होना बताया। अन्त में वादी की ग्राम ठीकरीया प॰ह॰ अरनियापंथ स्थित वर्तमान आ॰ नम्बर 478, 479, 480 कीता 03 रकबा 1.0400 हे॰ भूमि के किसी हिस्से पर नाजायज कब्जा कर किसी भी कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निवेदन किया। ....लगातार (जीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया एवं अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे प्रतिवादीगण 1 से 3 के जरिए अधिवक्ता उपस्थिति दी। जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 27/7/2022 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी ने बयान मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम ठिकरीया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 69 प्रदर्शित करायी। वादग्रस्त आराजीयात का वादी खातेदार होना प्रदर्श। नकल जमाबन्दी के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम ठीकरीया प0ह0 समलियावदा स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 478, 479, 480 कीता 3 रकबा 1.0400 हे. भूमि के किसी भी हिस्से पर नाजायज कब्जा तथा निर्माण कार्य नही करें।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

<u>मूल वाद मे डिक्री</u>

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.छोगालाल पिता ऊकार डांगी नि.मेडी का अमराणा तहसील व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1.भगवाना पिता नोला डांगी नि.ठिकरीया तहसील व जिला चित्तौडगढ

2.नाना पिता नोला डांगी नि.ठिकरीया तहसील व जिला चित्तौडगढ

3.ऊकार पिता हेमा डांगी नि.ठिकरीया तहसील व जिला चित्तौडगढ

4.श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 113/2020 (GCMS 2020/00305)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री किशनलाल कुमावत की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री — की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेद्याज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम ठीकरीया पटवार हल्का अरनियापंथ स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 478, 479, 480 कीता 3 रकबा 1.0400 हे. भूमि के किसी भी हिस्से पर नाजायज कब्जा तथा निर्माण कार्य नही करें।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner